न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 16 / 2022

उनवान

पुसी देवी वगै0 बनाम काली वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

–: आदेश :– दिनांक :– 27/3/24

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 4980 में से रास्ते का अनुतोष चाहा है। उक्त भूमि दिनांक 31.08.22 को संपरिवर्तित हो गयी है जिसके आदेश की प्रति सलंग्न है। अतः माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रेत्राधिकार नही होने से प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 4984 मे आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 4980 रकबा 0.88 में से रास्ता चाहने हेतु आवेदन पेश किया है। जो दिनांक 20.6.22 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से उनके अधिवक्ता ने दिनांक 24.11.22 को वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ उक्त खसरा नम्बर के सपंरिवर्तन आदेश की प्रति पेश की है जो दिनांक 01.09.22 की है। अर्थात प्रकरण में अप्रार्थीगण की उपस्थिति से पूर्व ही उक्त आराजी संपरिवर्तित की जा चुकी है। राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 4980 के तरमीमी खसरा नम्बर 7187/4980 रकबा 0.8777 औधोगिक प्रयोजनार्थ दर्ज हो चुका है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में स्थगन प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है। प्रकरण में कोई स्थगन नही होने के कारण भूमि संपरिवर्तित हो चुकी है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा खसरा नम्बर 4982 व 4983 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। किन्तु उक्त खसरा नम्बर के खातेदार प्रकरण मे पक्षकार नही है। साथ ही खसरा नम्बर 4983 के बाब[illegible] संख्या 136/23 घीसा बनाम गोमा में हाजा न्यायालय द्वारा स्थग[illegible] है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा कृषि भूमि में से रास्ता प्र[illegible] प्रकरण में प्रार्थीगण जिस भूमि से रास्ता प्राप्त करना चाहते है वह अकृषि भूमि में सपंरिव[illegible] हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:44:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट में दर्शित अन्य रास्ते की भूमि पर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, स्थगन आदेश पारित है तथा उक्त आराजी के खातेदार प्रकरण में पक्षकार नही है। अतः प्रार्थी को चाहे गये खसरा नम्बर व तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित खसरा नम्बर में से रास्ता दिया जाना संभव नही है। प्रकरण पर आगे कार्यवाही का काई औचित्य नही है।

अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार कर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। किन्तु प्रार्थीगण स्वयं की आराजी पर अवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग के लिये आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। उनके द्वारा मार्ग हेतु नवीन प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। प्रश्नगत निर्णय का प्रभाव नवीन प्रार्थना पत्र पर अप्रभावी रहेगा। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:44:14 IST
Reason: SelfAttested